संख्या-153/2019/2204/22-2-2019-17(195)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 21 नवम्बर, 2019***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चंचल उर्फ अभिषेक पुत्र श्री संतोष कुमार पाठक, निवासी जनपद-फतेहपुर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-24537/प्रोबे0अनु0(2)-206/सला0समिति(एम-02-07-2019) दिनांक 08-08-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चंचल उर्फ अभिषेक पुत्र श्री संतोष कुमार पाठक, निवासी-बिलोचनपुर, थाना-खागा, जनपद-फतेहपुर का रहने वाला है। जमीन के बँटवारे को लेकर बंदी द्वारा 02 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 25.07.2001 की रात्रि लगभग 8:45 बजे ससुर व चाचा ससुर को गोली मार कर घायल तथा सास को तमंचे की बट से गम्भीर रूप से घायल कर दिया गया, जिन्हें उपचार हेतु उर्सला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर ससुर व चाचा ससुर को मृत घोषित करते हुए सास को उपचार हेतु भर्ती कर लिया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-303,305/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302 व 25 ए एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट नं0-4, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 19.12.2003 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 17 वर्ष 04 माह 22 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 04 माह 25 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दिनांक 31.12.2018 तक बन्दी की आयु 43 वर्ष लगभग है। जिला मजिस्ट्रेट व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बंदी द्वारा कारित अपराध विशेष श्रेणी के अपराध में होने, पुन: अपराध करने की प्रबल सम्भावना होने के दृष्टिगत बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की है। क्रिमिनल रिट याचिका सं0-48/2014 भारत संघ बनाम वी0श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में बन्दी के सम्बन्धित मा0 न्यायालय का अभिमत भी प्राप्त किया गया। पीठासीन अधिकारियों/प्रभारी एफ.टी.सी. कोर्ट सं0-4/ अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-24 कानपुर नगर द्वारा समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में स्पष्ट अभिमत नहीं दिया गया है। सलाहकार समिति के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी द्वारा जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

चंचल उर्फ अभिषेक पुत्र श्री संतोष कुमार पाठक को रिहा किये जाने की संस्तुति सलाहकार समिति द्वारा नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी चंचल उर्फ अभिषेक (बन्दी संख्या-17082) पुत्र श्री संतोष कुमार पाठक, निवासी जनपद-फतेहपुर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदया द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-153/2019/2204(1)/22-2-2019 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।